राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,

(पंचायती राज)

क्रमांकः एफ.951(19).(41) प्रावि/लेखा/नि0आ0/बजट घोषणा/2012-13/2494 जयपुर, दिनांक-01-04-2013

-: अधिसूचना :-

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांकः- एफ 951(19) (41) पराविं/लेखा/नि0आ0/बजट घोषणा/09-10/7387 दि. 22.10.09 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को देय मानदेय एवं बैठक भत्तों की दरों में बजट भाषण में घोषणानुसार, निम्नानुसार आंशिक संशोधन तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

मानदेय की दरें :-

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय मानदेय दर रू. प्रतिमाह	संशोधित मानदेय दर रू. प्रतिमाह
1.	2.	3.
जिला प्रमुख, जिला परिषद	7500/-	9000/-
प्रधान, पंचायत समिति	5000/-	6000/-
सरपंच, ग्राम पंचायत	3000/-	3500/-

बैठक भत्ता की दरें :-

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय राशि रू.	संशोधित बैठक भत्ता की दर रू. प्रतिमाह
1.	2.	3.
सदस्य, जिला परिषद	125/-	500/-
सदस्य, पंचायत समिति	100/-	350/-
सदस्य, ग्राम पंचायत	75/-	200/-

उक्त भत्ता संबंधित प्रतिनिधि द्वारा माह में बैठक आयोजित होने पर ही तथा माह हेतु निर्धारित बैठकों में उपस्थित होने पर ही देय होगा।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 331300289 दि. 25.03.2013 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(अपर्णा अरोरा)

शासन सचिव

33kalicharan